

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 263/2020 अपील (GCMS/2020/00285)  
पंजीयन दिनांक - 04.08.2020  
निर्णय दिनांक - 03.01.2022

1. श्री सुरेश पिता देवीलाल ब्राह्मण, निवासी तासोल, तहसील कुंवारीया, जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुंवारीया, जिला राजसमन्द।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहस:-

1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी  
2. राजकीय परोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-51/2019, बउनवानी श्री सुरेश बनाम तहसीलदार कुंवारीया में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

### निर्णय

दिनांक 03.01.2022

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-51/2019, बउनवानी श्री सुरेश बनाम तहसीलदार कुंवारीया में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 के विरुद्ध पेश की गई।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री सुरेश ब्राह्मण ग्राम तासोल किस्म राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 126 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 1 विश्वासी भूमि पर संवत् 2076 में पक्की दिवार एवं टैंक बनाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, कुंवारीया द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 04/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक 18.07.2019 को पारित किया कि “अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिया जाता है एवं अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतः अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत उक्त अतिक्रमित भूमि से तुरन्त प्रभाव से भौतिक रूप से बे-दखल करने, भूमि कब्जे सरकार लिये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि के वार्षिक लगान रूपया 1 का 50 गुणा यानि 50रु (अक्षरे पचास रूपया) शास्ती आरोपित की जाती है।”

- तहसीलदार, कुंवारिया के निर्णय दिनांक 18.07.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णित करते हुए निर्णय दिनांक 07.02.2020 को पारित किया कि “अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा राजस्व ग्राम तासोल पटवार हल्का तासोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 126 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि से 1 विश्वांसी किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण किया गया है। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण से बेदखल करने व शास्ति 50/- रुपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि पर अपीलार्थी का 50 वर्षों से कब्जा आधिपत्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का आबादी पैतृक मकान होने से पट्टे भी जारी कर रखे है। अपीलार्थी उक्त पट्टेशुदा आबादी भूमि पर काबिज है। हल्का पटवारी द्वारा बिना सीमांकन किये उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के हित को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार कुंवारिया को निर्देशित किया जाता है कि बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा अपीलार्थी के पट्टेशुदा मकान का सीमांकन करें। यदि अपीलार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करें। इस निर्देश के साथ अपील निर्णित की जाती है।”

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 28.07.2020 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए दिनांक 04.08.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 03.01.2022 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने की अधिकारिता तहसीलदार को प्राप्त नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर जो मकान बना हुआ है, वह अपीलार्थी का होकर उसका पट्टा विलेख के पैतृक होने का प्रमाण है और उसके स्वामित्व का दस्तावेज है। उक्त मकान 50 वर्ष से भी अधिक पुराना बना है, जो पट्टे से प्रमाणित है। आबादी भूमि से बेदखल करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी ने आराजी नम्बर 126 पर कोई अतिक्रमण एवं कब्जा नहीं किया है बल्कि आबादी भूमि पर ही अपीलार्थी काबिज है। तहसीलदार ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण मानते हुए त्रुटि कारित की है। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी की बिना उपस्थिति में बिना मौका जांच रिपोर्ट के अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी के मकान के अतिरिक्त इसी सरवेले में अन्य कई मकान गांव के बने हुए है, पुरा मौहल्ला बसा हुआ है, फिर भी अपीलार्थी

को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। तहसीलदार ने अपीलार्थी के मामलों में सारे नियम को नजरअदांज कर प्रथम सुनवाई पर ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलार्थी वैध स्वामित्व के दस्तावेज के आधार पर अपने मकान पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है, इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में यह सिद्धान्त पारित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति वर्षों से अपने मकान में निवास कर रहा है, उसे धारा-91 की संक्षिप्त प्रक्रिया से बेदखल करने में एवं अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। उक्त प्रकरण में दिनांक 07.02.2020 को निर्णय पारित किया गया जिसकी नकल हेतु आवेदन दिनांक 14.02.2020 को किया जिसकी नकल दिनांक 26.02.2020 को प्राप्त हुई और निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण प्रदेश एवं देश में कोरोना महामारी चलते लॉकडाउन घोषित कर दिया गया जिससे अपील निर्धारित समयावधि में पेश नहीं की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओमोटो बनाम भारत संघ रिट सिविल नम्बर 03/2020 आदेश दिनांक 23.03.2020 से लॉकडाउन के कारण जिन प्रकरणों में अपील/वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं, उनकी मयाद स्वतः ही माफ करने के आदेश पारित करते हुए उक्त प्रकरणों को मयाद में माने जाने के आदेश पारित किये। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

**विद्वान राजकीय पेटोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों का समर्थन करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।**

**हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वत्पूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2020 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में कोविड-19 कोरोना काल के लाकडॉउन के कारण अपील देरी से दायर करने का उल्लेख किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.09.2021, मिसलेनियस एप्लीकेशन न. 665/221 इन एसएमडब्ल्यू (सी) न. 03/2020 में दिनांक 15.03.2020 से 02.10.2021 तक सभी तरह के प्रकरण में मयाद को क्षम्य करने हेतु आदेश किया है। उक्त आदेश की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री सुरेश ब्राह्मण ग्राम तासोल किस्म राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 126 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 1 विश्वासी भूमि पर संवत 2076 में पक्की दिवार एवं टैंक बनाकर अनाधिकृत रूप से

कब्जा कर लिया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 04/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक 18.07.2019 को पारित कर शास्ति आरोपित करते हुए अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा तहसीलदार कुंवारिया को उक्त पेटा में वर्णित निर्देशों के अधीन निर्णित की जिसके फलस्वरूप हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

दौराने बहस एवं जरिये अपील में, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलार्थी न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपने निर्णय में वर्णन किया कि अपीलान्त के हित को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार कुंवारिया को निर्देशित किया जाता है कि बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा अपीलार्थी के पट्टेशुदा मकान का सीमांकन करें। यदि अपीलार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करें। यह प्रकट करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के समस्त उजर पर विचार विश्लेषण एवं परिक्षण उपरान्त निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय सुनाया गया।

( राजेन्द्र भट्ट )  
संभागीय आयुक्त, उदयपुर